बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं० : 2231562, 2215089, बेबसाईट : www.bsea.bihar.gov.in, Email-bseapatna@gmail.com

पटना/ दिनांक 10/10/2023

अधिसूचना

संख्या- नि०प्रा०/नि० 1-13/2022 खण्ड 1982 बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या- 85 दिनांक 11.01.2023 द्वारा अन्य समितियों के साथ **पटना जिला के फुलवारीशरीफ प्रखंड अंतर्गत फुलवारीशरीफ व्यापार मंडल सहयोग समिति लि०** का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया गया था। अपरिहार्य कारणों से उक्त समिति का निर्वाचन कार्यक्रम प्राधिकार की अधिसूचना संख्या- 328 दिनांक 10.02.2023 द्वारा स्थगित किया गया। निर्वाचन कार्यक्रम स्थगन के पूर्व नामांकन, संवीक्षा एवं अभ्यर्थिता वापसी का कार्यक्रम संपन्न हो चुका था। तदालोक में प्राधिकार की अधिसूचना संख्या- 1653 दिनांक 21.08.2023 द्वारा समिति का निर्वाचन कार्यक्रम पुन: निर्धारित किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय ने CWJC No. 12559/2023 में दिनांक 01.09.2023 को आदेश पारित किया था कि-

"In view thereof, this Court directs the respondent no.3, Registrar Cooperative Societies, Bihar, Patna, to take up the issue raised in Membership Dispute No. 104 of 2023 immediately and decide the issue, as early as possible, preferably before ensuing cooperative election scheduled to be held on 04.09.2023.

It is needles to observe that if the petitioners approach the respondent no. 3, Registrar Cooperative Societies, Bihar, Patna, with the present order, he will take up the matter and act upon it forthwith and if their claims are found fit, he will pass an appropriate reasoned order in accordance with law."

तदनुसार न्यायालय निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा दिनांक 01.09.2023 को ही इस मामले की सुनवाई की गई। न्यायालय निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा आदेश पारित किया गया कि- ''माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No. 12559/2023 में पारित आदेश दिनांक 01.09.2023 के अनुपालनार्थ फुलवारीशरीफ व्यापार मंडल सहयोग समिति लि0 के दिनांक 04.09.2023 को निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रम को कम से कम एक माह के लिए विस्तारित किया जाए।'' निबंधक के उक्त अनुरोध के आलोक में प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 1740 दिनांक 02.09.2023 के माध्यम से फुलवारीशरीफ व्यापार मंडल का निर्वाचन कार्यक्रम 04.10.2023 तक स्थगित किया गया। पुन: दिनांक 25.09.2023 को न्यायालय निबंधक, सहयोग समितियाँ ने कुल 74 लोगों को उनका पक्ष जानने के लिए नोटिस जारी किया तथा लिखा कि- ''संबंधितों को सूचना निर्गत करते हुए उनका पक्ष प्राप्त किये जाने में समय लगना निश्चित है, जिसके आलोक में प्रासंगिक समिति के निर्वाचन कार्यक्रम को विस्तारित किया जाना वांछनीय होगा। तदालोक बिहार राज्य निर्वाचन

प्राधिकार को प्रासंगिक समिति के निर्वाचन कार्यक्रम को कम से कम एक माह के लिए विस्तारित करने हेतु सूचना प्रेषित की जाए।'' दिनांक 04.10.2023 को न्यायालय निबंधक, सहयोग समितियॉ द्वारा पारित आदेश में समय के मांग की कोई चर्चा नहीं है। सभी 74 लोगों को वाद की प्रति लगाकर पुनः सूचना प्रेषित करने का आदेश दिया गया है।

प्राधिकार द्वारा निर्गत आदेश ज्ञापांक 1631 दिनांक 17.08.2023 की कंडिका- 24 में लिखा है कि सदस्यता संबंधी निर्णय प्राप्त करने के लिए निर्वाचन अनिश्चित काल के लिए नहीं रोका जा सकता है। निर्वाचन समाप्ति के उपरांत भी निर्वाचन वाद दायर करने के विकल्प उपलब्ध होते है। माननीय उच्च न्यायालय में भी दिनांक 01.09.2023 को पारित आदेश में निबंधक, सहयोग समितियॉ को निर्वाचन की तिथि 04.09.2023 के पूर्व Preferably निर्णय करने के लिए लिखा था। न्यायालय निबंधक, सहयोग समितियॉ द्वारा दो बार एक-एक माह का मांगा गया समय भी दिनांक 04.11.2023 को समाप्त हो जाएगा। तदनुसार निम्नवत निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। यदि इस बीच न्यायालय निबंधक, सहयोग समितियॉ द्वारा किसी आवेदक को फुलवारीशरीफ व्यापार मंडल का सदस्य घोषित किया जाता है तो वे भी मतदान की तिथि को मतदान करने के लिए अधिकृत होंगे।

अतः उक्त आलोक में **फुलवारीशरीफ व्यापार मंडल सहयोग समिति लि०** का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचना संख्या- 85 दिनांक 11.01.2023 के क्रम में निम्नवत निर्धारित किया जाता है-

क्र०	**निर्वाचन के प्रक्रम**	**तिथि**
(i)	मतदान	07.11.2023 (मंगलवार) 7:00 बजे पूर्वाह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक
(ii)	मतगणना	07.11.2023 (मंगलवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(ii)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	09.11.2023 (गुरूवार)

2. **उक्त निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में फुलवारीशरीफ व्यापार मंडल सहयोग समिति लि० के मतदाताओं के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार यथा माइकिंग, ढोल पिटवाकर एवं सरकारी भवनों पर इश्तेहार आदि चिपकाकर किया जाएगा। <u>दिनांक 27.10.2023 तक इसका साक्ष्य सहित अनुपालन प्रतिवेदन निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार को भेजना सनिश्चित करेंगे।</u>**

3. मतदान का समय 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक होगा। निर्वाचन पदाधिकारी मतदान की तिथि को मतदान प्रतिशत एवं मतगणना की तिथि को प्रपत्र-ई 18 में निर्वाचित सदस्यों की सूची फैक्स (0612-2231562) तथा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

4. <u>निर्वाचन पदाधिकारी मतगणना के अगले दिन प्राधिकार के वेबसाईट पर http://bsea.bihar.gov.in प्रपत्र-ई 18 (निर्वाचित सदस्यों की सूची) अपलोड कराना</u>

सुनिश्चित करेंगे। साथ ही मतगणना के तीन दिनों के भीतर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर युक्त अंतिम मतदाता सूची (अद्यतनीकरण के पश्चात्) भी प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड करायेंगे।

5. **बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात् दिनांक 09.11.2023 तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश ''सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका'' के पृष्ठ 122-129 पर देखा जा सकता है।**

6. अधिसूचना संख्या 85 दिनांक 11.03.2023 की शेष बातें यथावत रहेंगी।

(पुरूषोत्तम पासवान)

सचिव।

ज्ञापांक : 1982 पटना/ दिनांक 10/10/2023

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सचिव।

ज्ञापांक : 1982 पटना/ दिनांक 10/10/2023

प्रतिलिपि : प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/ जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०), पटना/ उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स0स0), पटना/ वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/ अपर समाहर्त्ता, पटना/ जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना/ प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०), फुलवारीशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक : 1982 पटना/ दिनांक 10/10/2023

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक : 1982 पटना/ दिनांक 10/10/2023

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना का कोषांग/ सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।